

<p>रीख क्रम</p>	<p>हुकूम या कार्यवाही घट्ट इनिशियलस जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अदालत जो हुकूम की तारीख में जारी हुए</p>
<p>25⁸ 21</p>	<p>फरीकेन उपरियत/अनु पीठासीन अधिकारी का हुकूम के पत्रायली पूर्व-आज्ञा अनुसार दिनांक 28-1-21 को पेश है। रीडर अपखण्ड अधिकारी, वैर</p>	
<p>28-32 3¹¹ 21</p>	<p>कमुलाय पञ्जकारान उपासिति वहास हेतु सिफ-नाहा, जो दिनांक जाकर पत्रा. दि. 03/11/21 को पेश हो परीकेन उपरियत/अनु पीठासीन अधिकारी का हुकूम के पत्रायली पूर्व-आज्ञा अनुसार दिनांक 25/11/21 को पेश है। रीडर <u>Somy</u> अपखण्ड अधिकारी, वैर</p>	
<p>5¹¹ 21</p>	<p>कमुलाय पञ्जकारान उपा. वहास हेतु पुनः समप चाहा जो दिनांक जाकर दि. 19-1-22 को पेश हो परीकेन उपरियत/अनु पीठासीन अधिकारी का हुकूम के पत्रायली पूर्व-आज्ञा अनुसार दिनांक 9-3-22 को पेश है। रीडर <u>Somy</u> अपखण्ड अधिकारी, वैर</p>	
<p>19¹ 21</p>	<p>वकीलवादी उपा. वहास एकपक्षीय सुनी गई पत्रा. का अवलोकन किया गया दोशने वहास वकील सायल द्वारा प्रार्थक-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया पत्रा. पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य व रिकार्ड से प्रथम दृष्टया मामला एवं शुविधा का सन्तुलन वादी सायल के पक्ष में व्यवृत्ति प्रभावित पाया जाता है अतः प्रार्थक पत्र सायल स्वीकार किया जाकर जैरसायलान में ताफैसला मूलवाद चाकस किया जाता है कि वह प्रार्थक-पत्र की नद संख्या 3 में वर्णित अराजी खसरा न. 82 रकवा 0.0700, 87 रकवा 0.1100 123 रकवा 0.5300, 249 रकवा 0.3100, 250 रकवा 0.3700, 1070 रकवा 0.2200, 173 रकवा 0.0200, 1240 रकवा 0.1800 किता 8 कुल</p>	